

क्रेडिट आधारित फंडिंग के लिए दिशानिर्देश

1. एनएचएफडीसी के बारे में

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) की स्थापना 24 जनवरी 1997 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई थी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है (अनुबंध की धारा 8 के अनुरूप प्रावधान) कंपनी अधिनियम, 2013) एक कंपनी के रूप में लाभ के लिए नहीं। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और इसकी अधिकृत पूंजी 499.50 करोड़ रुपये है। कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

2. उद्देश्यों

I. दिव्यांगजनों के लाभ/आर्थिक पुनर्वास के लिए स्वरोजगार और अन्य उपक्रमों को बढ़ावा देना।

द्वितीय. सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आय और/या आर्थिक मानदंडों के अधीन, दिव्यांगजनों या दिव्यांगजन व्यक्तियों के समूहों को आर्थिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम के रूप में सहायता करना।

III. दिव्यांगजनों को सामान्य/पेशेवर/तकनीकी करने के लिए ऋण प्रदान करना

स्नातक और उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए शिक्षा।

चतुर्थ। दिव्यांगजनों के तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल के उन्नयन में सहायता करना

उत्पादन इकाइयों के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए।

V. दिव्यांगजनों के लिए समाज में समावेश और आराम से रहने की सुविधा प्रदान करना।

VI. दिव्यांगजनों के आर्थिक कार्यों के समर्थन में उनके समुचित पुनर्वास/उत्थान के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया विकास, प्रौद्योगिकी, साझा सुविधा केंद्र और अन्य ढांचागत गतिविधियों की स्थापना करना।

सातवीं। वित्तीय सहायता प्रदान करके और वाणिज्यिक वित्त पोषण प्राप्त करने या पुनर्वित्त के माध्यम से दिव्यांगजनों के विकास से निपटने के लिए राज्य स्तरीय संगठनों की सहायता करना।

आठवीं। राज्य सरकार (सरकारों), सहयोगी बैंकों और वित्तीय संस्थानों और अन्य राज्य स्तरीय संस्थानों, जिनके साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए फंड को चैनलाइज़ करने के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करना।

IX. स्व-नियोजित व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूह या पंजीकृत कारखानों/कंपनियों/पीडब्ल्यूडी के सहकारी समितियों को उनके तैयार माल के विपणन में सहायता करना और कच्चे माल की खरीद में सहायता करना।

3. दायरा

एनएचएफडीसी के एसोसिएशन का ज्ञापन निगम को बड़ी जिम्मेदारियां देता है और पीडब्ल्यूडी के उत्थान के लिए बोधगम्य सामाजिक आर्थिक उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। लगातार बदलते समाज के आधार पर निगम के कामकाज में बदलाव की संभावना है। वर्तमान में, निगम के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया गया है:

- i) पीडब्ल्यूडी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए पीडब्ल्यूडी को रियायती ऋण का विस्तार।
- ii) विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के तौर-तरीके - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित एजेंसियां {राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (एससीए)}; बैंक/वित्तीय संस्थान; राज्य स्तरीय संगठन जैसे आजीविका मिशन/स्वच्छ भारत मिशन, आदि; गैर सरकारी संगठन (एनजीओ); आदि।
- iii) विभिन्न चैनल भागीदारों की मौजूदा योजनाओं के साथ अभिसरण: साथ ही सरकारी योजनाएं।
- iv) उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों/प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान प्रदान करना।
- v) प्रचार और जागरूकता सृजन गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान प्रदान करना।
- vi) विकलांगों को अपना सामान बेचने में मदद करने के लिए विपणन सहायता प्रदान करना और सेवाएं।

4. उधार देने के लिए व्यापक मानदंड

विकलांगों के आर्थिक उत्थान और सामान्य कल्याण के लिए रियायती ऋण का विस्तार, एनएचएफडीसी द्वारा किया गया प्रमुख हस्तक्षेप होने के कारण, उधार देने के लिए व्यापक मापदंडों को मजबूत करना आवश्यक है। इन दिशानिर्देशों की सामग्री को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर लागू की गई व्यक्तिगत योजनाओं के साथ पढ़ा जाना है।

4.1. पात्रता मापदंड :

- a) 40% या अधिक विकलांगता वाला कोई भी भारतीय नागरिक ((विकलांगता जैसा कि PwD अधिनियम, 2016 या इसके संशोधनों में परिभाषित किया गया है)।
- बी) 18 वर्ष से अधिक आयु। तथापि, मानसिक मंद व्यक्तियों के मामले में, पात्र आयु 14 वर्ष से अधिक होगी। आयु मानदंड नहीं होगा

शैक्षिक ऋण के लिए आवश्यक। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र या जैसा कि 10वीं में उल्लेख किया गया है प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा।

4.2. उधार देने के लिए ब्याज दर:

एनएचएफडीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पर प्रति वर्ष निम्नलिखित दरों पर साधारण ब्याज लगेगा, जहां संबंधित ऋण योजना (योजनाओं) में विशिष्ट दरें प्रदान नहीं की जाती हैं: -

एस। नहीं	उधार की राशि (लाख रुपये में)	ब्याज दर (%)	क्रियान्वयन एजेंसी मार्जिन (%)	की दर के लिए ब्याज विकलांग (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (3+4)
i)	0.50 . से कम	2	3	5
ii)	0.50 से ऊपर - 5.0	3	3	6
iii)	5.0 से ऊपर - 15.0	3	4	7
iv)	15.0 से ऊपर- 30.0	4	4	8
v)	ऊपर 30.0- 50.0	4.5	4.5	9

छूट: के साथ महिलाओं को ब्याज में 1% की छूट की अनुमति दी जाएगी

50,000/- रुपये तक के स्वरोजगार ऋण में ओएच के अलावा अन्य विकलांग/विकलांग व्यक्ति। छूट एनएचएफडीसी द्वारा वहन की जाएगी।

4.3 ऋण की चुकौती अवधि:

एनएचएफडीसी ऋण की अधिकतम चुकौती अवधि 10 वर्ष होगी। प्रत्येक योजना के लिए विशिष्ट अधिकतम चुकौती अवधि भी निर्धारित की गई है जो कम अवधि की हो सकती है।

4.4 ऋण की राशि :

विभिन्न एनएचएफडीसी योजनाओं के माध्यम से रियायती ऋण देने की ऊपरी सीमा प्रति लाभार्थी/इकाई रुपये 50.0 लाख होगी। 50.0 लाख रुपये की ऊपरी सीमा के भीतर वास्तविक ऋण राशि का निर्धारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित की जा रही गतिविधि/परियोजना की जरूरतों के साथ-साथ अधिकतम चुकौती अवधि के भीतर उधारकर्ता की चुकौती क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

4.5 ऋण का प्रकार :

ऋण की प्रकृति सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण/अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत किए जा रहे ऋणों के लिए प्रमोटर का योगदान हो सकता है।

4.6 कार्यान्वयन एजेंसियां:

एनएचएफडीसी की ऋण योजनाओं को निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा:

- i. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां।
- ii. बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान जिनके साथ NHFDC ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- iii. एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य संस्थान (सरकारी/गैर सरकारी) जिनके साथ एनएचएफडीसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं/स्वीकृति के विशिष्ट पत्र जारी किए हैं।

4.7 ऋण मंजूर करने और जारी करने की प्रक्रिया :

- i) लाभार्थी को ऋण स्वीकृत करने का अधिकार संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को दिया जाता है।
- ii) आवेदक कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्धारित प्रारूप में ऋण आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- iii) एनएचएफडीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऋण की मंजूरी के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियां ऋण की जांच और मंजूरी देंगी।
- iv) एनएचएफडीसी के मौजूदा लाभार्थी को बार-बार सुविधा दी जा सकती है
निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऋण:
 - ए) लाभार्थी को बार-बार वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की तिथि को वित्तीय सहायता के लिए एनएचएफडीसी के पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए।
 - बी) लाभार्थी का पुनर्भुगतान का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए; यानी वह किसी भी समय 3 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए पहले के ऋण के संबंध में देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं करना चाहिए था।
 - सी) परियोजना/इकाई के विस्तार/विविधीकरण/किसी गतिविधि के संचालन को बढ़ाने, जैसा भी मामला हो, के उद्देश्य से उसी लाभार्थी को और उसी परियोजना/इकाई के लिए बार-बार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। हालांकि, यह शर्त सूक्ष्म वित्त लाभार्थी के लिए लागू नहीं होगी जो किसी भी आय सृजन गतिविधि के लिए बाद में ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
 - डी) उक्त उद्देश्यों के लिए ऋण स्वीकृत किया जा सकता है
कार्यान्वयन एजेंसियां, इतनी राशि तक ताकि एक व्यक्तिगत लाभार्थी और/या एक व्यक्तिगत इकाई/परियोजना के संबंध में स्वीकृत ऋण (ऋणों) की कुल राशि, चाहे बार-बार वित्तीय सहायता के रूप में या अन्यथा, से अधिक न हो

- ii) एनएचएफडीसी द्वारा समय-समय पर कार्यान्वयन एजेंसियों को मंजूरी देने वाली सीमा तक मंजूरी की सीमा; तथा
- iii) कंपनी की उधार नीति में समय-समय पर निर्धारित/विनिर्दिष्ट स्वीकृत सीमाएँ (योजना विशिष्ट वित्तीय सीमाएँ)।
- इ) यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि बार-बार ऋण देने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहले दिया गया ऋण पूरी तरह से चुका दिया गया हो। जांच की जाने वाली बात चुकौती रिकॉर्ड, वित्तीय मूल्यांकन और चुकौती क्षमता है।

4.8 परियोजना लागत का हिस्सा:

एनएचएफडीसी द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट योजना या एजेंसी विशिष्ट ब्लॉक में प्रदान किए गए को छोड़कर, कार्यान्वयन एजेंसी से रुपये से ऊपर की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत परियोजना लागत का 5% योगदान करने की उम्मीद है। 50,000/- परियोजना लागत में उनके हिस्से के रूप में, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में वर्णित है:

परियोजना की लागत	एनएचएफडीसी साझा करना	एससीए साझा करना	प्रमोटर का साझा करना
* रुपये तक 50,000/-	100%	शून्य	शून्य
* रुपये से ऊपर 50000/- और रु. 1 लाख	95%	5%	शून्य
* रुपये से ऊपर 1.0 लाख और रु.5 लाख तक	90%	5%	5%
* रुपये से ऊपर 5.0 लाख	85%	5%	10%

4.9 अधिस्थगन अवधि:

उपयोग अवधि की समाप्ति के बाद मूलधन के पुनर्भुगतान में कार्यान्वयन एजेंसी को तीन महीने की मोहलत उपलब्ध होगी (उपयोग अवधि के लिए कृपया पैरा 5.2 देखें)। कार्यान्वयन एजेंसी से लाभार्थियों को समान स्थगन प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

कार्यान्वयन एजेंसी के पास उन परियोजनाओं के संबंध में अधिस्थगन अवधि को तीन महीने से अधिक, लेकिन एक वर्ष (अधिकतम) तक बढ़ाने का अधिकार होगा, जिसकी मंजूरी देने का अधिकार उन्हें दिया गया है।

हालांकि, कार्यान्वयन एजेंसियों के उपरोक्त अधिकार को एक वर्ष तक स्थगन अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन प्रयोग किया जा सकता है कि प्राधिकरण के इस तरह के अभ्यास को तुरंत विस्तृत कारणों के साथ एनएचएफडीसी को सूचित किया जाना चाहिए। इसे उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत विस्तृत सूची में भी दर्शाया जाना चाहिए।

4.10 पूर्व भुगतान:

उधारकर्ता बिना किसी पूर्व भुगतान शुल्क के चुकौती शुरू होने के बाद किसी भी समय ऋण चुका सकता है।

4.11 सुरक्षा:

4.11.1. राज्य सरकार की गारंटी के खिलाफ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, एनएचएफडीसी बोर्ड के अनुमोदन से उक्त एजेंसी की गारंटी पर इसके द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों (एनएचएफडीसी) के वित्तपोषण पर विचार कर सकता है। लगातार चूक के मामले में, एनएचएफडीसी वित्तपोषित होने वाली संबंधित एजेंसी की भविष्य की परियोजनाओं से गारंटी लेने या इसकी किश्तों में कटौती करने के लिए स्वतंत्र होगा। एनएचएफडीसी ऋण प्रदान करने के लिए बैंक गारंटी या उसे स्वीकार्य किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति भी स्वीकार कर सकता है।

4.11.2. कार्यान्वयन एजेंसियों को अपनी संबंधित नीतियों के अनुसार अपेक्षित सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और केंद्र सरकार की गारंटी योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा/संपार्श्विक सुरक्षा के साथ कवर नहीं किए गए ऋण के किसी भी हिस्से को कवर करने का प्रयास कर सकते हैं। ऋण को और अधिक सुरक्षित करने के लिए, कार्यान्वयन एजेंसियां कंपनी अधिनियम में परिभाषित परिवार के सदस्य को सह-आवेदक के रूप में ऋण में सह-आवेदक के रूप में भी मान सकती हैं।

4.11.3. कार्यान्वयन एजेंसियों को संपत्ति और लाभार्थियों का पर्याप्त बीमा कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। लाभार्थियों के बीमा कवरेज की लागत विभिन्न बीमा योजनाओं के तहत वहन की जानी चाहिए

कमजोर वर्गों के लिए केंद्र और राज्य सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा लागू किया गया। संपत्ति की बीमा लागत परियोजना लागत का हिस्सा होनी चाहिए और इसे इस तरह से वित्त पोषित किया जाना चाहिए।

4.12 सामाजिक प्राथमिकताएं :

मैं। कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्षित समूहों को इस तरह से कवर करने का प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कवरेज प्रदान किया जा सके।

द्वितीय कार्यान्वयन एजेंसियों से लाभार्थियों को इस तरह से कवर करने की अपेक्षा की जाती है कि राज्य और जिला स्तर पर प्रत्येक प्रकार की विकलांगता के व्यक्तियों को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में कवर किया जाता है।

iii. लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक या सामान्य वर्ग से संबंधित है या नहीं, इसका स्व-प्रमाणन स्वीकार्य है। जहां आवेदन पत्र में जाति, इस कॉलम को भरने और के बारे में एक कॉलम मौजूद है

5. ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अन्य दिशा-निर्देश

एनएचएफडीसी योजनाओं को लागू करते समय कार्यान्वयन एजेंसियों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का भी पालन करना होगा:

5.1 एनएचएफडीसी निधियों का अनुमानित आवंटन और अग्रिम रिलीज:

- i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, एनएचएफडीसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विकलांग आबादी के अनुपात में और पिछले तीन वर्षों में संवितरण पर विचार करते हुए, कार्यान्वयन एजेंसियों को धन आवंटित करेगा। किसी भी एससीए को न्यूनतम आवंटन 20.00 लाख रुपये होगा।

एससीए, बदले में, उसी सिद्धांत के अनुसार जिलेवार आवंटन कर सकते हैं।

- ii) अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के मामले में, काल्पनिक आवंटन शाखा नेटवर्क पर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार होगा।
- iv) नियमित निगरानी के अलावा, वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर को निधियों के वास्तविक उपयोग/रिलीज की तुलना में निधि के काल्पनिक आवंटन की स्थिति की विशेष रूप से नवंबर के महीने में एनएचएफडीसी द्वारा समीक्षा की जाएगी। यदि किसी एससीए/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवंटित निधि का उपयोग नहीं किया गया है, तो एससीए/कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुनः आवंटित किया जा सकता है, जहां निधि का उपयोग संतोषजनक है।
- v) एनएचएफडीसी द्वारा अपने प्रत्यायोजित प्राधिकरण के तहत परियोजनाओं को लागू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम निधि के रूप में कार्यान्वयन एजेंसियों से रिलीज के लिए अनुरोध प्राप्त होने के बाद 50% तक निधि जारी की जा सकती है।
- vi) शेष राशि, अनुरोध पर, पहले जारी किए गए अनुमानित आवंटन के 50% के 80% उपयोग की प्राप्ति पर जारी की जाएगी।
- vi) हालांकि एनएचएफडीसी द्वारा सरकारी गारंटी/उपयुक्त सुरक्षा की स्थिति, सामान्य ऋण समझौते के निष्पादन, चुकौती और उपयोग की स्थिति आदि पर विचार करने के बाद कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाएंगी।

5.2 ऋण का उपयोग :

एनएचएफडीसी द्वारा जारी की गई निधि का उपयोग कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रिलीज की तारीख से 120 दिनों के भीतर किया जाना है। अग्रिम निधियों पर 3% की ब्याज दर होगी। हालांकि, लागू ब्याज दर लाभार्थी को ऋण के वितरण की तारीख से ली जाएगी। मामले में, ऋण राशि का उपयोग नहीं किया जाता है

120 दिनों के भीतर, असंवितरित राशि तुरंत एनएचएफडीसी को वापस करनी होगी। कार्यान्वयन एजेंसियां इन निधियों के उपयोग को निधियां जारी होने के 120 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगी।

5.3 अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज:

- i) जिन निधियों का उपयोग नहीं किया गया है और जिन्हें लाभार्थियों को आगे वितरित किए बिना वापस कर दिया गया है, उन पर एनएचएफडीसी को निधि वापस किए जाने तक की पूरी अवधि के लिए लागू ब्याज दर के अतिरिक्त 3% की दर से अतिरिक्त ब्याज (दंडात्मक ब्याज) लगेगा।
- ii) कार्यान्वयन एजेंसियों को अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज लगाने से छूट दी जाएगी यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में उनका संचयी उपयोग 90% या अधिक है।

5.4 चूक भुगतानों पर परिसमापन हर्जाना:

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लाभार्थियों को वितरित एनएचएफडीसी देय राशि (मूलधन के साथ-साथ ब्याज) के पुनर्भुगतान में चूक, चुकौती की निर्धारित/सहमत तारीखों से परे, पर लागू ब्याज की सामान्य दरों के अतिरिक्त 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। बकाया तथापि, यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एनएचएफडीसी को पुनर्भुगतान 90% या अधिक है, तो चूक किए गए पुनर्भुगतान पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

5.5 कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन

निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियां निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी:

- i) वसूली (संचयी) और उपयोग (संचयी) को प्रोत्साहन गणना में समान महत्व दिया जाएगा वर्ष के दौरान कार्यान्वयन एजेंसी की वसूली (संचयी) और उपयोग (संचयी) 90% होनी चाहिए।
- ii)
- iii) प्रोत्साहन @1% होगा और इसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी -

$$\{(\text{वर्ष के दौरान वसूली} + \text{वर्ष के दौरान धन का उपयोग})/2\} \text{ का } 1\%$$
- iv) कार्यान्वयन एजेंसियां किसी भी उद्देश्य के लिए प्रोत्साहन राशि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगी जो एनएचएफडीसी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता कर सकती हैं।

6. वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र का मुद्रण

जहां कहीं भी कार्यान्वयन एजेंसी स्वयं आवेदन प्रपत्रों को मुद्रित करने का निर्णय लेती है, उसे प्रति आवेदन प्रपत्र के लिए रु.10/- से अधिक राशि प्रभारित करने की अनुमति है।

इस प्रकार चार्ज की जाने वाली राशि को पहले पन्ने के मुख पर मुद्रित किया जाना चाहिए

7. एनएचएफडीसी योजनाओं के प्रचार/जागरूकता के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता

NHFDC NHFDC योजनाओं के प्रचार/जागरूकता सृजन के लिए प्रति वर्ष रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) की राशि या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वितरित राशि का 0.10%, जो भी अधिक हो, की प्रतिपूर्ति करेगा। . कार्यान्वयन एजेंसियां पूर्वानुमोदन लेंगी और प्रचार सामग्री की प्रति के साथ बिलों को प्रतिपूर्ति के लिए एनएचएफडीसी को प्रस्तुत करेंगी।

8. निगम की ऋण जांच समिति

ऋण प्रस्तावों/एजेंसी चयन, जहां भी निगम की किसी भी ऋण योजना में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है, का मूल्यांकन किया जाएगा और ऋण जांच समिति, द्वारा गठित ऋण जांच समिति द्वारा सिफारिश की जाएगी।

निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निम्नलिखित सदस्यों के साथ :

- मैं। निगम के विभागाध्यक्ष (वित्त) (अध्यक्ष)
- द्वितीय निगम के विभागाध्यक्ष (परियोजना) iii. निगम के विभागाध्यक्ष (ऋण लेखा) (सदस्य सचिव)
- iv. सिडबी/नाबार्ड के प्रतिनिधि
- v. किसी भागीदार बैंक का प्रतिनिधि
- vi. विकलांगता पर किसी राष्ट्रीय संस्थान का प्रतिनिधि vii. निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत किसी भी प्रतिष्ठित एनजीओ का प्रतिनिधि

उपरोक्त ऋण जांच समिति अपनी सिफारिशें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

9. विविध मामले

विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन, इन व्यापक दिशानिर्देशों/मानदंडों की व्याख्या और आवेदन और उनसे संबंधित मामलों का निर्णय निगम के सर्वोत्तम हित में प्रबंध निदेशक, एनएचएफडीसी द्वारा किया जाएगा।

"दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना"

1.0 उद्देश्य :

विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए (विकलांगता जैसा कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 या इसके संशोधनों में परिभाषित किया गया है):

- आय सृजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली कोई गतिविधि शुरू करना या पीडब्ल्यूडी को उनके सशक्तिकरण की समग्र प्रक्रिया में मदद करना।
- 12 वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना (यूजी, पीजी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और यूजीसी / एआईसीटीई / आईसीएआर / सरकार आदि द्वारा अनुमोदित अन्य पाठ्यक्रम)
- व्यावसायिक या कौशल विकास (आईटीआई, डिप्लोमा किसी भी अन्य पाठ्यक्रम के लिए अग्रणी) रोजगार या स्वरोजगार में वृद्धि)
- किसी भी सहायक उपकरण (उपकरणों) की खरीद और / या फिटमेंट / अनुकूलन / रेट्रोफिटिंग या उपलब्ध मशीन, उपकरण, वाहन को विकलांग अनुकूल मोड में बदलना

2.0 उद्देश्य :

योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है।

3.0 पात्रता मानदंड:

- ए) 40% या अधिक विकलांगता वाला कोई भी भारतीय नागरिक (विकलांगता जैसा कि PwD अधिनियम, 2016 या इसके संशोधनों में परिभाषित है)।
- बी) आयु 18 वर्ष से अधिक। तथापि, मानसिक मंद व्यक्तियों के मामले में, पात्र आयु 14 वर्ष से अधिक होगी। शैक्षिक ऋण के लिए आयु मानदंड की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र या 10 वीं प्रमाण पत्र में उल्लिखित या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज होगा।

4. उधार देने के लिए ब्याज दर:

एनएचएफडीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पर प्रति वर्ष निम्नलिखित दरों पर साधारण ब्याज लगेगा, जहां संबंधित ऋण योजनाओं में विशिष्ट दरें प्रदान नहीं की जाती हैं: -

एस। नहीं	उधार की राशि (लाख रुपये में)	ब्याज दर (%)	क्रियान्वयन एजेंसी मार्जिन (%)	की दर के लिए ब्याज विकलांग (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (3+4)
i)	0.50 से कम	2	3	5
ii)	0.50 से ऊपर - 5.0	3	3	6
iii)	5.0 से ऊपर - 15.0	3	4	7
iv)	15.0 से ऊपर - 30.0	4	4	8
वी)	ऊपर 30.0- 50.0	4.5	4.5	9

छूट: 50,000/- रुपये तक के स्वरोजगार ऋणों में विकलांग महिलाओं/ओएच के अलावा अन्य विकलांग व्यक्तियों को ब्याज में 1% की छूट दी जाएगी।

छूट एनएचएफडीसी द्वारा वहन की जाएगी।

5. ऋण की राशि :

विभिन्न एनएचएफडीसी योजनाओं के माध्यम से रियायती ऋण देने की ऊपरी सीमा प्रति लाभार्थी/इकाई रुपये 50.0 लाख होगी। 50.0 लाख रुपये की ऊपरी सीमा के भीतर वास्तविक ऋण राशि का निर्धारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित की जा रही गतिविधि/परियोजना की जरूरतों के साथ-साथ अधिकतम चुकौती अवधि के भीतर उधारकर्ता की चुकौती क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

6. ऋण का प्रकार:

ऋण की प्रकृति सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण/अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत किए जा रहे ऋणों के लिए प्रमोटर का योगदान हो सकता है।

7. ऋण की चुकौती: एससीए ऋण के

संवितरण की तारीख से 10 वर्षों की समग्र सीमा के भीतर गतिविधि-वार/मामला-वार पुनर्भुगतान अनुसूची तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

8. पूर्व भुगतान

उधारकर्ता बिना किसी पूर्व भुगतान शुल्क के चुकौती शुरू होने के बाद किसी भी समय ऋण चुका सकता है।

9.0 सुरक्षा

9.1 कार्यान्वयन एजेंसियों को अपनी संबंधित नीतियों के अनुसार अपेक्षित सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और केंद्र सरकार की गारंटी योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा/संपार्श्विक सुरक्षा के साथ कवर नहीं किए गए ऋण के किसी भी हिस्से को कवर करने का प्रयास कर सकते हैं। ऋण को और अधिक सुरक्षित करने के लिए, कार्यान्वयन एजेंसियां कंपनी अधिनियम में परिभाषित परिवार के सदस्य को सह-आवेदक के रूप में ऋण में सह-आवेदक के रूप में भी मान सकती हैं।

9.2 कार्यान्वयन एजेंसियों को परिसंपत्तियों और लाभार्थियों का पर्याप्त बीमा कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। लाभार्थियों के बीमा कवरेज की लागत केंद्र और राज्य सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा कमजोर वर्गों के लिए लागू विभिन्न बीमा योजनाओं के तहत वहन की जानी चाहिए। संपत्ति की बीमा लागत परियोजना लागत का हिस्सा होनी चाहिए और इसे इस तरह से वित्त पोषित किया जाना चाहिए।

10.0 ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया और अन्य नियम और शर्तें:

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया और सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार ऋण की मंजूरी के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन कार्यान्वयन एजेंसी को प्रस्तुत किया जाना है।

11. एनएचएफडीसी के अधिकार :

किसी भी विवाद के मामले में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचएफडीसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा

12. अन्य नियम और शर्तें :

योजना के लिए अन्य नियम और शर्तें ऋण आधारित वित्त पोषण योजनाओं के लिए एनएचएफडीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी।

विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (VMY)

1. परिचय

1997 से, एनएचएफडीसी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आय पैदा करने वाली योजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है। आउटरीच का विस्तार करने के लिए, एनएचएफडीसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और अन्य संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करके ऋण देने के लिए अतिरिक्त चैनल भी स्थापित किया है।

एनएचएफडीसी का इरादा स्थायी और समावेशी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए उचित/मध्यम ब्याज दरों पर अंतिम मील के वित्तपोषकों के माध्यम से लक्षित समूह की बैंक रहित आबादी तक पहुंचने का है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सहायक परियोजनाएं भी शामिल होंगी जो समाज में दिव्यांगजनों के लिए आरामदायक जीवन की सुविधा प्रदान करती हैं।

NHFDC का मानना है कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के साथ-साथ राज्य स्तर के संगठनों जैसे आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आदि के साथ साझेदारी करना समूहों में मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण को अपनाकर लक्ष्य समूह की सामूहिक कार्यवाई को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी और लाभकारी दृष्टिकोण होगा, जो लक्ष्य समूह के आर्थिक सशक्तिकरण और सामान्य कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता जुटाने के लिए अन्य विकास भागीदारों के सहयोग से भी प्रयास किए जाएंगे; मूल्य श्रृंखलाओं का विपणन और विकास करना।

2. उद्देश्य

एनबीएफसी-एमएफआई, सेक्शन-8-एमएफआई, और एनजीओ-एमएफआई, एसएचजी फेडरेशन, राज्य सरकार के मिशनों और अन्य राज्य स्तर के संगठनों के माध्यम से लक्षित समूह और गतिविधियों के लिए उचित ब्याज दर पर त्वरित और आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान करना ताकि लघु / सूक्ष्म को आगे बढ़ाया जा सके। व्यापार और विकासात्मक गतिविधियाँ।

3. पात्रता मापदंड

माइक्रोफाइनेंस उधार देने वाले संगठनों की ऐसी श्रेणियों के लिए समय-समय पर सिडबी या नाबार्ड द्वारा पालन किए जाने वाले पात्रता मानदंडों का पालन किया जाएगा।

पात्रता मानदंड पर विचार किया जाएगा और सिडबी के मौजूदा पात्रता मानदंडों के आधार पर NHFDC की ऋण जांच समिति द्वारा सिफारिश की जाएगी या नाबार्ड।

4. एनएचएफडीसी कार्यान्वयन एजेंसियां संबंध

पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले संगठनों को सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए एनएचएफडीसी की कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। NHFDC और कार्यान्वयन एजेंसी के बीच संबंध अनुबंधात्मक संबंधों द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होंगे, NHFDC नीति और अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार पार्टियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करके।

5. सुरक्षा

एनएचएफडीसी से संवितरण की मांग करते समय, कार्यान्वयन एजेंसियां एनएचएफडीसी को इस समझौते के तहत स्वीकृत ऋण की किश्तों के समय पर भुगतान के लिए ब्याज सहित निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करेंगी: -

ए) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बैंक गारंटी या "एनएचएफडीसी" के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सावधि जमा -% के बराबर या सिडबी / नाबार्ड के प्रचलित मानदंडों के अनुसार, जो भी अधिक हो, ऋण राशि का उन्हें वितरित किया।

बैंक गारंटी/सावधि जमा की वैधता अवधि तब तक जारी रहेगी जब तक कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एनएचएफडीसी के सभी देय राशि का पूर्ण भुगतान या अन्यथा पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दिया जाता है। यदि कार्यान्वयन एजेंसी ने एनएचएफडीसी को सावधि जमा प्रदान किया है, तो जमा लिखत के साथ लिखत पर अर्जित ब्याज केवल ऋण चुकौती के सफलतापूर्वक पूरा होने पर कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इस समझौते के तहत दी गई पूरी या आंशिक राशि के लिए चूक की स्थिति में, बैंक गारंटी को लागू किया जाएगा/सावधि जमा राशि को अर्जित ब्याज के साथ एनएचएफडीसी द्वारा भुनाया जाएगा।

बी) सुरक्षा के रूप में शेष राशि के लिए एनएचएफडीसी के पक्ष में पोस्ट-डेटेड चेक (पीडीसी)।

पीडीसी योजना के लिए चुकौती अनुसूची के अनुरूप प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा, वितरित की जाने वाली राशि के 90% के बराबर एक अदिनांकित पीडीसी प्राप्त किया जाएगा।

ग) एनएचएफडीसी से लिए गए ऋण से सृजित सभी बही ऋणों और प्राप्य राशियों पर दृष्टिबंधक के माध्यम से अनन्य प्रथम प्रभार। उधारकर्ता को एक त्रैमासिक सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उधारकर्ताओं की सूची/बुक ऋणों के विवरण के साथ-साथ ऋण का अंतिम उपयोग/उद्देश्य, बकाया राशि और अतिदेय राशि का आयु-वार विवरण शामिल हो।

6. इकाई लागत

परियोजना की इकाई लागत 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।

7. सहायता की मात्रा

एनएचएफडीसी का हिस्सा परियोजना लागत के 90% तक होगा। शेष 10% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसियों या एनएचएफडीसी के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करने वाले अन्य संगठनों और/या लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा।

8. ब्याज दर

एनएचएफडीसी कार्यान्वयन एजेंसियों से समय-समय पर उसके द्वारा निर्धारित ब्याज दर वसूल कर सकता है। एनएचएफडीसी, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विकलांग व्यक्तियों से लिए जाने वाले ब्याज की दर में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ब्याज दर में इसके द्वारा तय किए गए स्प्रेड की अनुमति देगा। किसी भी मामले में कार्यान्वयन एजेंसियां विकलांग व्यक्तियों से एनएचएफडीसी द्वारा पुनर्वित्त की गई राशि पर निगम की ऋण नीति के तहत निर्धारित ब्याज दर से अधिक ब्याज नहीं वसूलेंगी।

वर्तमान में, योजना के तहत ब्याज वसूलने का पैटर्न इस प्रकार होगा;

कार्यान्वयन एजेंसियों को एनएचएफडीसी	ब्याज फैल गया कार्यान्वयन एजेंसियां	कार्यान्वयन एजेंसियां लाभार्थियों
महिलाओं के लिए 4% प्रति वर्ष पुरुषों के लिए 5% प्रति वर्ष	8%	महिलाओं के लिए 12% प्रति वर्ष पुरुषों के लिए 13% प्रति वर्ष

लक्षित समूह/कार्यान्वयन करने वाले भागीदार वार्षिक आधार पर देय राशि के समय पर पूर्ण भुगतान पर एनएचएफडीसी (प्रत्येक 1%) से 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए त्वरित पुनर्भुगतान के बारे में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए पूर्ण पुनर्भुगतान के बारे में कार्यान्वयन एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने के बाद राशि एनएचएफडीसी द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारा सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी।

9. चुकौती अवधि

ऋण राशि तीन महीने की अधिस्थगन अवधि सहित प्रत्येक संवितरण की तारीख से अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के भीतर तिमाही किस्तों में चुकाई जाएगी। इसके अलावा, धन के उपयोग के लिए 120 दिनों की अवधि की अनुमति है। ब्याज के भुगतान के लिए कोई अधिस्थगन अवधि नहीं होगी।

10. एनएचएफडीसी के अधिकार किसी

भी विवाद की स्थिति में, प्रबंध निदेशक, एनएचएफडीसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा

11. अन्य नियम और शर्तें

योजना के लिए अन्य नियम और शर्तें ऋण आधारित वित्त पोषण योजनाओं के लिए एनएचएफडीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन)

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार)

यूनिट नंबर-11-12, ग्राउंड फ्लोर, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला फेज -1 नई दिल्ली-110020

NHFDC के स्वावलंबन केंद्र के मालिक के रूप में NHFDC के साथ जुड़ने के लिए दिव्यांगजन के लिए
अवसर

(स्वरोजगार मॉडल)

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में 1997 से विकलांग व्यक्तियों को रियायती ऋण लिकेज देने में सबसे आगे रहा है। कंपनी आयोजन करके सरकार के कौशल प्रयासों में भी योगदान दे रही है। पिछले कुछ वर्षों से विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट।

अपने प्रयासों को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए, NHFDC ने 'अत्याधुनिक' पोर्टेबल सूक्ष्म कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की अवधारणा की है, जो कौशल में गुणवत्ता के मुद्दे की देखभाल के लिए क्षेत्र के लिए विशिष्ट विभिन्न ट्रेडों में सभी कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। पीडब्ल्यूडी को प्रशिक्षण। केंद्रों को समान रूप से डिजाइन किया जाएगा, और सुलभ और गुणवत्ता समर्थन सुविधाओं (शौचालय, आदि) के साथ और किसी भी स्थान के लिए लक्षित प्रशिक्षण ट्रेडों के लिए आवश्यक मशीनरी/उपकरण/गैजेट से लैस किया जाएगा।

NHFDC ने कुछ पायलट स्वावलंबन केंद्रों को बंद कर दिया है और उपयुक्त जनशक्ति और अन्य सहायता के माध्यम से केंद्रों को चलाने की व्यवस्था भी की है। एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र के डिजाइन, विनिर्देश और वास्तविक चित्र अनुबंध- I पर हैं। परियोजना की लागत रुपये से है। स्थान और ट्रेड के आधार पर 10.00 - 15.00 लाख (लगभग)।

मॉडल को स्थापित करने और स्थिर करने के लिए, एनएचएफडीसी ने स्थानीय क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी को जुटाने, प्रशिक्षकों की पहचान करने और उन्हें तैनात करने और प्लेसमेंट के बाद सहायता के लिए एजेंसी की व्यवस्था की है।

एनएचएफडीसी कौशल प्रशिक्षण केंद्र के स्वामित्व और संचालन में रुचि रखने वाले दिव्यांगजन और ऐसे कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए आवश्यक स्थान/भूमि (या तो स्वयं/पट्टे पर) की व्यवस्था करने के लिए रियायती ऋण और प्रशिक्षण अनुदान के माध्यम से एनएचएफडीसी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

यह अनुमान है कि 30X10 फीट (लगभग) का एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र एक वर्ष में कम से कम 100 विकलांगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, केंद्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करेगा। एनएचएफडीसी एसआईपीडीए/सीएसआर से अनुदान के तहत प्रति वर्ष 100 या अधिक पीडब्ल्यूडी के कौशल के लिए 4 साल के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए सहायता सहायता प्रदान करेगा।

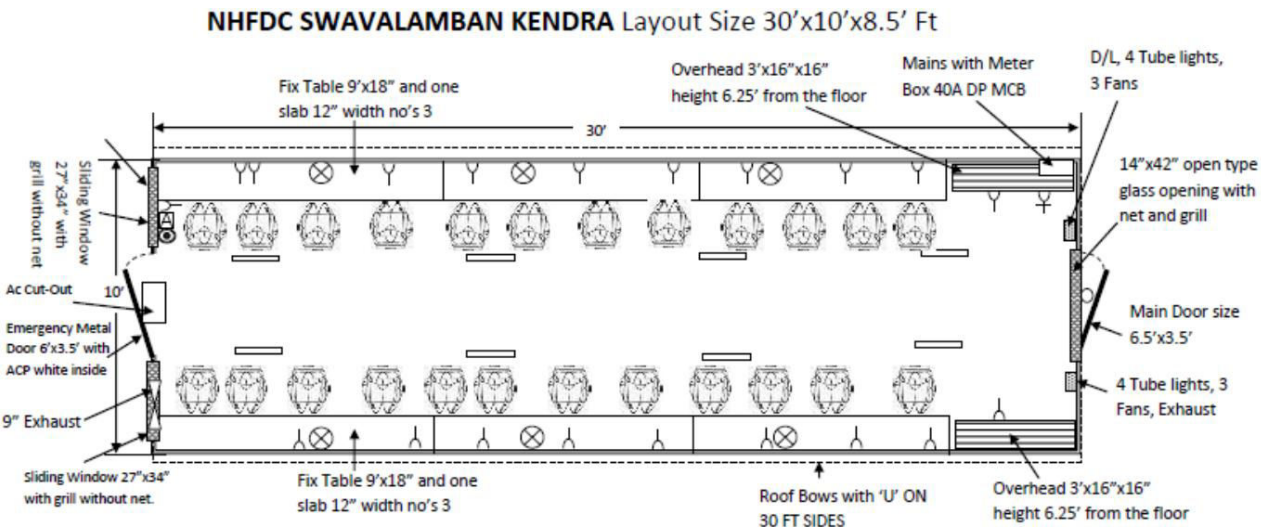
एनएचएफडीसी फाउंडेशन इच्छुक दिव्यांगजनों को आवश्यक मार्गदर्शन, परामर्श और सहयोग प्रदान करेगा।

इस प्रक्रिया में, यह उम्मीद की जाती है कि कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन में पारंगत विकलांग उद्यमियों को विकसित किया जाएगा और एनएचएफडीसी द्वारा हैंडहोलिंग अवधि के बाद स्वतंत्र रूप से उड़ान भरने में सक्षम होना चाहिए।

विस्तृत योजना और वित्तीय गणना के लिए इच्छुक दिव्यांगजन NHFDC फाउंडेशन से 011-45803730 (विस्तार 214) / ईमेल:- nhfdcfoundation@gmail.com पर अनुरोध कर सकते हैं।

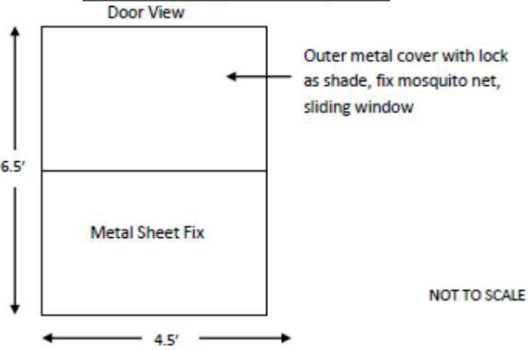
एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र की डिजाइन, विशिष्टता और वास्तविक चित्र

डिजाइन:



NOTE: - ALL WINDOWS HEIGHT 34.5" FROM FLOOR
ALL SWITCH BOARD HEIGHT 30.5" FROM FLOOR
INSULATION ON ROOF AND WALLS WITH 40MM/48KG DENSITY ROCKWOOL
INVERTER WIRING REQUIRED
ALL SWITCH SOCKET STANDARD
EXHAUST FAN WITH FLAP 9" OVER THE DOOR
FLOORING VINYL MAT 1.5MM
WALLS AND ROOF WITH LAMINATED PARTICLE BOARD 9 MM THICK
RAMP ON DOOR BOTH SIDES
ALL DOORS WITH KEY LOCK AND ARAL
WALLS AND ROOF CORRUGATED SHEET
AC CUT-OUT WITH STAND BACK SIDE

AC DP 32A MCB	1
6A Socket	20
Wall Fan	6
Tube Light	8
TV Socket	1
Multi Socket	1
Holder	1
Exhaust	1
Chair without wheel	24



विशिष्टता:

एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र			
विवरण: पोर्टेबल केबिन सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले स्टील का उपयोग करके निर्मित होता है और ताकत और लंबे समय तक चलने वाला जीवन प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वेल्डेड संरचना है।			
अनु क्रमांक।	विशेष विवरण	विशेषताएं	विवरण
1	केबिन का आकार	लंबाई-30 फीट, चौड़ाई-10 फीट, ऊंचाई-8.5 फीट	लिफ्ट और शिफ्ट प्रकार पोर्टेबल केबिन
1	फ्रेम के साथ खिड़की	वर्षा आश्रय, मच्छरदानी	एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो का आकार एक नग का आकार 3x3 फीट, दो नग का आकार 27 "x34" फीट
		उच्च तन्यता स्टील की ग्रील स्क्वायर बार 10 मिमी	
रैंप के साथ 2 एमएस डोर		पहला दरवाजा-ऊपरी आधा खुला प्रकार छाया सह के रूप में वर्षा आश्रय	धातु का दरवाजा 2 Nos
		पानी के प्रवेश को रोकने के लिए रबर गैसकेट	
		स्लाइडिंग विंडो के साथ आकार 6.5x3.5 फीट	
3	1.2 मिमी मोटाई की MS CRCA शीट को कंटेनर की बाहरी दीवार बनाने के लिए लंबवत वेल्ड किया जाएगा	मच्छरदानी	नालीदार चादर का इस्तेमाल किया
		दूसरा दरवाजा- आपात स्थिति के लिए आकार 6x3.5 फीट	
		नालीदार चादर का इस्तेमाल किया	
4	1.2 मिमी मोटाई की MS CRCA शीट को वेल्ड करके कंटेनर की बाहरी छत बनाई जाएगी और 30 फीट के दोनों किनारों पर गटर प्रदान किया जाएगा।	सेल, टाटा, बनाओ भूषण, ज़िंदल, JSW	सेल, टाटा, बनाओ भूषण, ज़िंदल, जेएसडब्ल्यू
		नालीदार चादर का इस्तेमाल किया	नालीदार चादर का इस्तेमाल किया
5	बाहरी दीवारों की छत और भीतरी शीट को ठीक करने के लिए ताकत प्रदान करने के लिए शीट पर वेल्डेड अंदर की एमएस संरचना ,	सेल, टाटा, बनाओ भूषण, ज़िंदल, JSW	सेल, टाटा, बनाओ भूषण, ज़िंदल, जेएसडब्ल्यू
		एमएस पाइप का आकार 50x25 मिमी	हर 4 फीट पर पाइप सपोर्ट दिया जाएगा

6	एमएस पाइप संरचना पर प्लाई या पार्टिकल बोर्ड खराब हो जाएगा जो दीवार और छत के इंटीरियर का निर्माण करेगा	पर्यावरण के अनुकूल	दोनों तरफ के लैमिनेटेड बोर्ड लगाए जाएंगे
		टिकाऊ	9 मिमी मोटाई
7	दीवारों और छत में एमएस शीट के अंदरूनी हिस्से पर इंसुलेशन फिक्स किया जाएगा	लंबा जीवन	40 मिमी / 48 किलो घनत्व रॉकवूल इंसुलेशन को दीवारों और छत में एमएस शीट के अंदरूनी हिस्से पर फिक्स किया जाएगा
		अच्छा इन्सुलेशन गुण	
8	कंटेनर के फर्श को सी प्रकार के चैनलों का उपयोग करके तैयार किया जाएगा जिसे एक मजबूत ताकत असर संरचना प्रदान करने के लिए विधिवत वेल्ड किया जाएगा। सुचारू आवाजाही के लिए चैनलों पर सीमेंट फाइबर बोर्ड लगाया जाएगा।	चैनल बाहरी 100x50 मिमी और भीतरी 75x40 मिमी	हर 2 फीट पर आंतरिक समर्थन
		16 एमएम मोटाई का एवरेस्ट मेक सीमेंट फाइबर बोर्ड चैनलों पर होगा पेंच	1.5 मिमी मोटाई विनाइल मैट फर्श पर तय की जाएगी
9	छिपी हुई विद्युत तारों को लचीले पाइपों का उपयोग करके किया जाएगा और दीवारों पर मानक स्विच सॉकेट लगाए जाएंगे	गिरीश मेक 6ए सॉकेट	गिरीश मेक 6ए सॉकेट -20 नग
		नली रोशनी	फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट 8 नग
		एसी	विंडो एसी कट-आउट केवल -1 नग प्रदान किया जाएगा
		अर्थिंग वायर 1 मिमी, एसी तार 4 मिमी, लाइट लोड तार 1.5 मिमी मेक कैंट, एक डीपी एमसीबी प्रदान किया जाएगा	अर्थिंग वायर 1 मिमी, एसी तार 4 मिमी, लाइट लोड तार 1.5 मिमी मेक कैंट, एक डीपी एमसीबी प्रदान किया जाएगा
		प्रशंसक	दीवार के पंखे 20 फीट-26 नग, केबिन पंखा-1 निकास पंखा 9"- 1 प्रतिष्ठित मेक फिक्स किया जाएगा
10	ओवर हेड यूनिट	आकार 3'X16 "x16" लॉक के साथ	दो नंबर प्रदान किए जाएंगे
11	एमएस फ्रेम वाली टेबल और 18 एमएम के लैमिनेटेड बोर्ड दिए जाएंगे	रंग वेज और आकार 9'x1.5'x2.5', न्यूनतम 12" चौड़ाई का एक शेल्फ भी प्रदान किया जाएगा	छह इकाइयां
12	बिना पहिये वाली कुर्सियाँ	मजबूत और प्रकार की धातु	24 नग प्रदान किया जाएगा
13	कंटेनर को जंग से हटा दिया जाएगा और जिक आधारित प्राइमर के साथ प्राइमर किया जाएगा और उसके बाद तामचीनी पेंट के दो कोट होंगे	प्राइमर मेक बर्जर	प्राइमर मेक बर्जर
		पेंट मेक एशियन	पेंट मेक एशियन

सामान्य नियम	
वितरण कार्यक्रम पर परस्पर चर्चा की जाएगी	
वास्तविक के अनुसार भाड़ा शुल्क	
अपने दायरे में उतारना	
अनुकूलन के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा	

वास्तविक छवियां:





